

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
नरींगराम उर्फ नरींगराम पुत्र रावताराम
जाति देवासी निवासी सेवाडी वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद **GCMS NO. -2024/346**

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10 ⁰⁹ / ₂₄	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1808 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 6.56 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेवाडी एवं निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

3
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्दादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बड़जलारा श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण
नरीगराम उर्फ नरीगराम पुत्र रावताराम
जाति देवासी निवासी सेवाडी वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2024/346
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व
..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध
रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि
खसरा नंबर 1808 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल लगान 6.56 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी
में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेवाडी एवं
निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना
जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं
लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय
का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-09-24 को जारी की गई।



(दिनेश विश्णोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली



सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी नदी

खसरा संख्या : 1808 क्षेत्रफल : 0.1600 Hectare खाता संख्या : 519 पुराना खाता संख्या : 477
 भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : चाही प्रथम [0.1600, 6.56]
 2.) बाबुलाल पुत्र भीकाराम हिस्सा- 1/2 जाति- जाटचौधरी सा. देह खातेदार
 1.) नरींगराम उर्फ नरींगाराम पुत्र रावताराम हिस्सा- 1/2 जाति- देवासी सा. देह खातेदार

प्रत्यय प्रतिलिपि
 335 क्र. 20 दि. 26/4/23

सक्षम अधिकारी नदी नदी
 पटवारी (भू.अ.) *लेखा*
 तहसील - बाली (पाली)

नोट :- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील न्यायालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

नरींगराम

Bhushy

पटवारी
 पटवारी (भू.अ.)
 पटवार *सेवाडी*
 तहसील - बाली (पाली)

तहसीलदार (भू.अ.) बाली